B.A. PART-II POL.SC.(H)
3 RD PAPER

राज्य सभा

Q:- (Q2) राज्य सभा के गठन अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार - "संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा होंगे।

1. राज्य सभा का संगठन :— संघीय व्यवस्थापिका (संसद) के द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये होते हैं। ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। शेष सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(i) राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएँ तथा चुनाव :— राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता निम्नलिखित है। —

(a) वह भारत का नागरिक हो।

(b) उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो।

(e) संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो अर्थात् वह दिवालिया न हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, भारत सरकार के किसी वैतनिक पद पर न हो, कानून द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य न ठहरा दिया गया है।

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है।

(ii) राज्य सभा का कार्यकाल :—

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। किन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद इनमें से 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उनका स्थान पुराने सदस्य ले लेते हैं तथा रिक्त 1/3 सदस्यों का पुनः निर्वाचन हो जाता है।

(iii) राज्यसभा के पदाधिकारी :—

भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह सदन की बैठकों की सभापतित्व सदन की कार्यवाहियों व वाद - विवाद को नियमि

- नियन्त्रित करता है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन करती है। यह सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखता है।

(iv) गणपूर्ति :—

राज्य सभा की कार्यवाही शुरू होने के लिए सदस्यों की समस्त संख्या का दसवां भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है।

2. राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ :—

राज्य सभा निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करती है।

(i) विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ :—

संघ सरकार की विधि निर्माण सम्बन्धी सब शक्तियाँ राष्ट्रपति सहित संसद (राज्य सभा लोकसभा) के अधिकार क्षेत्र में आती है। अतः साधारण विधेयों विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सभाओं की शक्तियाँ समान है। अर्थात कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु उसे दोनों सदनों की स्वीकृति मिलनी आवश्यक होगी तभी विधेयक विधि बन सकता है।

वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि राज्यसभा की विधि निर्माण शक्ति सीमित है।

ii) वित्तीय शक्तियाँ :—

इन शक्तियों के सम्बन्ध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। कोई भी वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा में पारित हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अन्दर ही अपना निर्णय दे देना होता है किन्तु उसे वित्त विधेयकों को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में वह केवल अपने सुझाव दे सकती है।

iii) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार :—

व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियन्त्रण तथा अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार केवल लोकसभा को ही है। मंत्री परिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा का यह अधिकार भी सीमित ही है।

किन्तु नगण्य नहीं। राज्यसभा के सदस्य पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा वाद विवाद आदि के द्वारा मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं।

(iv) अन्य अधिकार एवं कार्य :—

संविधान में संशोधन करने का भी दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। संशोधन सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाता है जब दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। इसके साथ ही।

(a) राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

(b) राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के सम्बन्ध में भी दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है।

(c) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही अधिकार है।

राज्यसभा फिर भी अध्यादेश का अनुमोदन

करती है और वे कानून जो लोकसभा द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाते वे स्वतः रद्द हो जाते हैं।

(ई) संकटकालीन व्यवस्था की देखरेख सदनों की जिम्मेदारी तो भी होती है, लोकसभा के भंग या आदि लोकसभा विघटित की जा चुकी होती है तो उस समय केवल राज्यसभा की जिम्मेदारी ही होती है, बाद में नव निर्वाचित लोकसभा की स्वीकृति ली जाती है।

3. राज्यसभा का मूल्यांकन :— वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों का सदनों का समान अधिकार है। राज्यसभा लोकसभा जितना महत्वपूर्ण सदन नहीं है और इसकी पूर्ण रूप से योग्य व्यवस्था होनी चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसकी आवश्यकता है और आवश्यकतानुसार इसको ज्यादा अधिकार उपयुक्त है।

—०—